न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः— 3-12-25

अपील संख्या 82 / 2025
(जीसीएमएस संख्या 2025 / 149)

1. कश्मीर सिंह पुत्र फतेसिंह जाति जट सिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 24—11—1999
ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकान बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छरतगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 24—11—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी छतरगढ मुकाम बीकानेर द्वारा वर्ष 1996 में राज्य सरकार के आदेशो के मुताबिक विशेष आवंटन में भूमि आवंटित हेतु आवेदन पत्र मांगे गये। अपीलांट ने उपनिवेशन तहसील पुगल के 6 पी.आर.एम का मुरब्बा नं 35/62 व 35/63 के किला नं. 1 ता 25 में 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ए.सी.सी छतरगढ मुकाम बीकानेर में पेश किया। उक्त विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र में अंकित मुरबा नम्बर 35/62 व 35/63 गजट वर्ष 1988 में नोटिफाईड था। जिसके आधार पर अपीलांट का आवेदन पत्र गजट से मिलान कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर की गई। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु पेश हों, का आदेश प्रदत किया गया। अपीलांट अपनी आवंटित भूमि की किस्ते जमा करानें हेतु भी तैयार था। अपीलांट को हमेशा यही जवाब मिलता रहा कि अपीलांट को भूमि आवंटन के उपरांत किस्ते जमा करानें के नोटिस जारी होने के उपरांत ही किस्ते जमा करवाई जा सकेगी। इसी दौरान उपनिवेशन विभाग टुटनें पर पत्रावलियां राजस्व विभाग को सुपूर्व कर दी गई। उक्त क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला में समाहित हो गया। अपीलांट में अपनी पत्रावली पर भूमि आंवटन हेतु कई बार उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला में जाकर पत्रावली तलास करवाई परंतु पत्रावली नहीं मिलनें के कारण आवंटन की कार्यवाही का पता अपीलांट को नहीं चला। अपिलांट उपखण्ड अधिकारी पुगल व खाजुवाला के कार्यालय में भी कई बार अपनी पत्रावली पर भूमि आवंटन हेतु चक्कर लगाता रहा। अपिलांट में संबंधित बाबूओ से निवेदन किया कि आवंटन की जानें वाली भूमि खाली है। भूमि आंवटन कर किस्ते जमा करानें हेतु भी निवेदन किया था। अपिलांट को कोई न्याय नहीं मिला। अधिनस्त न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांट प्रार्थी का प्रस्तावित भूमि का आवंटन किया गया ना ही अर्नेस्ट मनी का रिफंड किया गया। बिना सुचना व नोटिस के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 24. 11.1999 को खरीज कर दिया गया। अपीलांट दिनांक 05.05.2025 को पुनः अपनी भूमि आवंटन की पत्रावली पर हुई कार्यावाही का पता करनें उपखण्ड अधिकारी पुगल व उपरांत खाजुवाला कार्यालय में गया व अपनी आवंटित भूमि की किस्ते जमा करवानें हेतु निवेदन किया तब संबधित बाबू

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नें बताया कि आपकी पत्रावली तो उपलब्ध नहीं है। अपीलांट को भूमि आवंटित हुई है तो पटवार हल्का से तथा मौके पर अपनें आवंटन संबंधित मुरबा नं व चक नं से पता करों कि भूमि खाली है। अन्य को आवंटीत तो नहीं है। अथवा जमीन अराजीराज है जिससे आगामी कार्यवाही सुनिश्चत की जा सकती है। अपीलांट दिनांक 06.05.2025 को उक्त 6 पी.आर.एम के मुरब्बा नं 35/62 व 35/63 पर मौके पर जाकर अवलोकन कर मौका स्थिति देखी तो मुरब्बा नं 35/63 की तादादी 25 बीघा भूमि खाली थी। अपीलांट अगलें दिन पटवार हल्का सें 6 पी.आर. एम के मुरबा नं 35/62 व 35/63 की राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट मांगी तो पटवार हल्का नें बताया कि उक्त मुरब्बा नं 35/63 रकबा अभी आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट अपनी आवंटन पत्रावली जिला कलक्टर रिकार्ड कार्यालय बीकानेर में जमा है। अपीलांट उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजुवाला में दिनांक 05.05.2025 को जाकर अपनें उक्त मुरब्बा की आवंटन की पत्रावली पर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया कि पटवार हल्का नें मुझे बातया है कि भूमि खाली हैं व आराजीराज है। स कारण मुझे मेरे द्वारा विशेष आवंटन में भूमि आवंटन का आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन की जावें। तब आवंटन शाखा के बाबू नें बताया की न्यायालय ए.सी.सी छतरगढ मुकाम बीकानेर के आदेश को सक्षम अपील अधिकारी से पुनः बहाल होने के उपरांत ही भूमि आवंटन अपीलांट को की जा सकेगी। भूमि आराजीराज है, तो अब आपको ही आवंटन की जा सकती हैं। आपकी पत्रावली रिकार्ड रूम जिला कलेक्टर बीकानेर में जमा है। जिस पर अपीलांट द्वारा पत्रावली की नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–1999 निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील पूगल में चक 6 पी.आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 35/62 व 35/63 तादादी 50 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी ओदशिका दिनांक 30-12-1995 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 6 पी.आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 35/62 की 24 बीघा 10 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 35/63 की 24 बीघा 10 बिस्वा कुल 49 बीघा भूमि के आवंटन हेतु पात्र घोषित किया गया था तथा अपीलांट को समस्त मूल प्रमाण पत्रो के साथ चालान प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु दिनांक 24-11-1999 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में यह कहते हुए अपीलांट का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई है। अतः प्रार्थी की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है किः–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण पुर्णतया सही चस्पा होती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर